

राजस्थान सरकार
(जल संसाधन विभाग)

क्रमांक 09/भू0अ0/ज0स0/2018/

दिनांक

आदेश

राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बड़ा नया गांव लघु सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर एवं माइनर्स के निर्माण कार्य हेतु, भूमि को अवाप्ति किया जाना आवश्यक है।

उक्त कार्य हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि के संबंध में प्रस्तुत सामाजिक समाघात रिपोर्ट का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 के अन्तर्गत गठित बहुशाखीय विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन किया जा चुका है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-8 एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात रिपोर्ट का अनुमोदन किया जाता है।

आज्ञा से,

६०

जितेन्द्र दीक्षित

उप सचिव एवं प्रावै. सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक 09/भू0अ0/ज0स0/2018/ 13१4 - 13१७

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक : २६-०५-२०

- 1-जिला कलेक्टर बून्दी।
- 2-मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग, कोटा।
- 3-भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) हिण्डोली, जिला बून्दी।
- 4-अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, बून्दी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने एवं धारा 8 में उल्लेखित कार्यवाहियों के पालनार्थ प्रेषित है।

६०

जितेन्द्र दीक्षित

उप सचिव एवं प्रावै. सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।